बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स रू 0612–2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई–मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना सं0– विपणन 11/2014–15

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम योजना** में **पी.एस.बी., एजेटोबैक्टर एवं राईजोबियम कल्चर** उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सभी सरकारी/ राष्ट्रीय सहकारी/ निजी जैव उर्वरक उत्पादन कंपनी जिनका जैव उर्वकर ब्यापार में गत दो वर्षो में लगातार 50 लाख रू0 प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी जैव उर्वरक कंपनी के साथ हो, वह निगम के वेवसाइट **brbn.bih.nic.in एवं www.krishi.bih.nic.in** से डाउन लोड कर अथवा बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय से कार्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा में भाग लेने हेतु अन्य अहर्त्ता एवं शर्त निविदा आवेदन पत्र में देखा जा सकता है।

निगम कार्यालय सें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – **13.10.2014 को 12.30 बजे अपराह्न तक**

निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – **14.10.2014 को 02.00 बजे अपराह्न तक**

निविदा खोलने की तिथि एवं समय – **14.10.2014 को 03.00 बजे अपराह्न**

विपणन प्रमुख

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य बीज निगम लि0,
मीठापुर, पटना– 800001

विषयः– **जैव उर्वरक चूर्ण आपूर्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मै/हमलोग निम्न घोषणा करते हैः–

अधोहस्ताक्षरी मैं/हमलोगो ने निविदा सूचना संख्या–11 विपणन 2013–14 को पढ़ एवं जॉच लिया है।

निविदा में अंकित जैव उर्वरक चूर्ण के आपूर्ति के लिए अंकित दर निश्चित है एवं निविदा के विष्टियों के अनुरूप है। आपूर्ति आदेश मिलने पर अंकित दर छः माह तक मान्य होगा।

मै/हमलोग घोषणा करते है कि हमारी निविदा, निविदा शर्तो के अनुरूप है एवं निविदा से कोई विचलन नहीं है।

मै/हमलोग स्वीकार करते है कि हमारी निविदा में अतिरिक्त शर्त/विचलन पाये जाने पर हमारी निविदा बगैर कोई कारण बताये रद्द कर दिया जाय।

कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि/
पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
निविदादाता कम्पनी का नाम एवं मूहर

नोटः– **निविदादाता को निविदा में भाग लेने तथा निविदा से संबंधित कागजात में हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किये जाने संबंधी कम्पनी के बोर्ड की कार्यवाही/कम्पनी का प्राधिकार पत्र से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।**

निविदा प्रपत्र

विषयः— **चूर्ण जैव उर्वरक आपूर्ति के संबंध में।**

बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना चूर्ण जैव उर्वरक के निर्माता कम्पनियों से जैव उर्वरक के आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित करती है।

नियम एवं शर्तें

निविदा जमा करने की विधि—

1. निविदा दो भागों में बंद लिफाफे में जमा होगा, जो निम्न है।

(क) **तकनीकी निविदाः—** निविदादाता को प्रत्येक जैव उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी निविदा जमा करना होगा, जिसमे आपूर्तिकर्त्ता से संबंधित जानकारी, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद की विष्टियों तथा भंडारण से संबंधित होगा।

(ख) **वित्तीय निविदाः—** निविदादाता निविदा में अंकित प्रत्येक जैव उर्वरक के आपूर्ति के लिए आपूर्ति दर अंकित करेंगे।

2. **अग्रधन राशि**

(क) तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता कम्पनी को बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के पक्ष में पटना मे देय रू0 1,00,000/— (एक लाख) मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा अन्यथा तकनीकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

(ख) निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। जिन्होने वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया है, उनके द्वारा प्रपत्र का मूल्य अलग से ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।

(ग) अफसल निविदादाता को अग्रधन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा असफल निविदादाता को आपूर्तिआदेश निर्गत करने के उपरान्त अग्रधन राशि वापस की जायेगी। सफल निविदादाताओं का अग्रधन सुरक्षित राशि के रूप में जमा रहेंगी एवं निवदा में अंकित जैव उर्वरको की कुल मात्रा की ससमय आपूर्ति के पश्चात भुगतेय राशि में समायोजित की जायेगी।

3. तकनीकी निविदा के लिफाफे पर मोटे अक्षरो में तकनीकी निविदा लिखा होगा तथा निविदादाता कम्पनी का नाम एवं पूर्ण पता लिखा होगा। तकनीकी निविदा का विवरण कम्प्यूटर द्वारा टंकित तथा स्पाइरल वाइंडिग में होना चाहिए।

4. (क) निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता कम्पनी के संचालक का हस्ताक्षर होगा एवं संचालक के स्वामित्व के संबंध में शपथ पत्र जमा करना होगा। निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होने से संबंधित निबंधन दस्तावेज जमा करना होगा।

(ख) साझेदार फर्म के स्थिति में हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति की सत्यता के लिए साझेदारी फर्म से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।

(ग) प्राईवेट लि0 कम्पनी होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिनिधि होने संबंधी पत्र जमा करना होगा।

5. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ नोटरी पब्लीक के माध्यम से 100 (एक सौ) रू0 के ननजूडीसीयल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें

(क) जैव उर्वरक के निर्माण की वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

(ख) बिहार राज्य में जैव उर्वरक विपणन के लिए वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

(ग) जैव उर्वरक निर्माण इकाई लगातार पिछले दो वर्षों से जैव उर्वरक का निर्माण कर रहा है।

(घ) जैव उर्वरक निर्माता कम्पनी देश के किसी भी राज्य में काली सूची में दर्ज नहीं है।

(ड.) निविदादाता कम्पनी का जैव उर्वरक आपूर्ति के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है। (अगर वाद विचाराधीन हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा अलग से दिया जाय।)

6. निविदा में अंकित दर छः माह तक मान्य माना जायेगा तथा अंकित अवधि तक दर का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

7. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा में अंकित कोई भी सूचना गलत अथवा भ्रामक पाये जाने पर निविदा कभी भी रद्द की जा सकती है तथा निविदादाता कम्पनी पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. निविदादाता कम्पनी के किसी भी राज्य सरकार अथवा उसकी एजेन्सी में काली सूची में दर्ज रहने पर निविदादाता के आपूर्ति आदेश को किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा।

9. निविदा नीचे अंकित कारणो से रद्द किया जा सकता है।

(क) अधूरे दस्तावेज अथवा मॉगे गये दस्तावेज नहीं रहने पर।
(ख) निगम द्वारा किन्ही कारणो से असफल घोषित करने पर।
(ग) अधूरा तकनीकी/वित्तीय निविदा पाये जाने पर।

10. निविदा खोलने के उपरान्त कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निविदा को खोलना एवं निविदा की जॉचः–

11. तकनीकी निविदा खोलने के समय निविदादाता कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति वांछित है तथा निविदा जॉच समिति प्राप्त निविदाओं की प्राथमिक जॉच करेंगे।

12. निविदा जॉच समिति द्वारा तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं/कम्पनी के ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

जैव उर्वरक की विशिष्टियॉ

13. आपूर्ति किये गये जैव उर्वरक निविदा में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए तथा फर्टिलाइजर (कंट्रोल) आदेश, 1985 तथा फर्टिलाइजर (कंट्रोल) तृतीय संशोधन आदेश, 2009 तथा उर्वरक से संबंधित अन्य आदेश के विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए।

14. जैव उर्वरक उत्पादक निविदादाता कम्पनी के पास उत्पादन से संबंधित वैध अनुज्ञप्ति तथा बिहार राज्य में जैव उर्वरक के विपणन की वैध अनुज्ञप्ति होना चाहिए। जिसके प्रमाण स्परूप अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।

15. आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी को जैव उर्वरक के पैकेट पर मोटे अक्षरो में **''केवल बिहार सरकार/ कृषि विभाग के योजनाओं के लिए''** लिखा होना चाहिए।

निविदादाता कम्पनी का दर

16. निविदादाता द्वारा अंकित दर बाजार दर के अनुरूप होना चाहिए तथा अंकित दर में सभी प्रकार के कर, बीमा, परिवहन, हस्तालन तथा सभी अन्य खर्च जुड़ा होना चाहिए। अंकित दर निविदा में लिखे पैकेट साईज के लिए एफ0ओ0आर0 बिहार राज्य के सभी प्रखण्डों के लिए होना चाहिए तथा निविदा की वैद्यता छः माह के लिए मान्य होना चाहिए।

निविदादाता के लिए अर्हता

17. बिहार राज्य में जैव उर्वरक की बिक्री की वैध अनुज्ञप्ति हो।

18. नामित सरकारी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा। गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र निविदा की तिथि से 03 (तीन) माह से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए।

19. निविदादाता को निविदा में अंकित प्रत्येक जैव उर्वरक का न्यूनतम 25 प्रतिशत जैव उर्वरक की मात्रा आपूर्ति करना होगा। एजेटोबैक्टर चूर्ण की 1200.61 क्वीं0, पी0एस0बी0 चूर्ण की 1200.61 क्वीं0 तथा राईजोबियम चूर्ण की 388.03 क्वीं0 आपूर्ति किया जाना है। जैव उर्वरक की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करना होगा।

20. निविदादाता कम्पनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों 2012–13, 2013–14 में जैव उर्वरक का न्यूनतम औसत वार्षिक उत्पादन एवं कारोवार न्यूनतम 50 लाख रू0 होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में अंकित वित्तीय वर्षों का अंकेक्षित लेखा जोखा तथा आयकर विवरणी एवं चार्टड एकाउन्टेन्ट का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

भुगतान की प्रक्रिया

21. जैव उर्वरक की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम के प्रखण्ड स्तर पर चयनित वितरक/बिक्रेता को किया जायेगा। जैव उर्वरक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये जा रहे जैव उर्वरक के प्रत्येक लॉट/बैच का मान्यता प्राप्त गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से गुणवत्ता संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा आपूर्ति चालान पर वितरक/बिक्रेता का हस्ताक्षर तथा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त आपूर्ति चालान बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना में उपलब्ध कराने के आधार पर आपूर्ति किये गये जैव उर्वरक के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।

22. संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से जैव उर्वरक का नमूना प्राप्त कर गुणवत्ता जॉच हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना को भेजेंगे। गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के सफल जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।

23. गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना से गुणवत्ता जॉच में अफसल जैव उर्वरक के लॉट के राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं असफल लॉट का जैव उर्वरक वापस नहीं किया जायेगा। इस संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई भी की जायेगी।

आपूर्ति आदेश देने के संबंध में

24. आपूर्ति आदेश जैव उर्वरक निर्माता कम्पनी को दिया जायेगा। जैव उर्वरक बिक्रेता से निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।